रामधन मीना
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी
RAM DHAN MEENA
Joint Secretary & Legislative Counsel
Phone : 011-23386229 (Off.)
: 011-26173370 (Res.)
Fax : 011-23387051 (Off.)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधायी विभाग, राजभाषा खंड
'ए' विंग, 7 वां तल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Law and Justice,
Legislative Deptt., Official Languages Wing
'A' Wing, 7th Floor,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001

अ0शा0सं0 13011(1)(iii)/2015-वि0-1 तारीख 30 सितम्बर, 2015

यह सूचित किया जाता है कि विधायी विभाग के राजभाषा खंड में विधि के क्षेत्र में संविधान की आठवीं अनुसुची में विनिर्दिष्ट भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रयोग में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम है । इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए उन पात्र स्वैच्छिक संगठनों को जो उपरोक्त कार्य में लगे हुए हैं, वित्तीय सहायता देने के लिए विचार करने के लिए 7 अक्तूबर, 2015 से 20 नवंबर,2015 तक की अवधि दौरान आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में प्रमुख समाचार पत्रों में विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं । हिन्दी और अंग्रेजी के प्रत्येक विज्ञापन की प्रति संलग्न है ।

2. वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाओं को अपने आवेदन संबद्ध राज्य के विधि विभाग या जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजे जाने चाहिए जिससे कि संस्था के वास्तविक पते या बैंक खाते की सत्यता प्रमाणित हो सके ।

3. हमने राजभाषा की उन्नति के लिए विधि के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 नवंबर,2015 नियत की गई है । आवेदन का प्ररुप और स्कीम के ब्यौरे इस मंत्रालय की वेबसाइट www.lawmin.nic.in/olwing पर उपलब्ध हैं ।

4. आप अपने राज्य में इस स्कीम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, जिससे कि सभी पात्र संगठन इस स्कीम का लाभ उठा सकें । इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा ।

संलग्न : यथोपरि

सादर

आपका,

(आर.डी.मीना) 30/9/2015
सदस्य - सचिव

सेवा में,

श्री राजीव गोबा,
मुख्य सचिव, झारखंड सरकार
सचिवालय, रांची-834004

प्रतिलिपि :

सचिव सह विधि सलाहकार,
झारखंड सरकार सचिवालय
रांची-834004

मुख्य सचिव कार्यालय
झारखण्ड, राँची
गै.स.प्रे.सं. 4749
तिथि 14/10/15

Financial Assistance to Voluntary Organizations engaged in the use of Indian Languages in the field of law.

The Government of India, Ministry of Law and Justice has a scheme for giving financial assistance to voluntary organizations engaged in propagation and use of Hindi and other regional languages specified in Eighth Schedule to the Constitution of India in the field of law. The grant would be available to those organisations, who are doing any of the following works in any language mentioned in the Constitution of India, namely:-

(i) Preparation and publication of original law books,

(ii) Translation and publication of standard law books or classics,

(iii) Preparation and publication of legal glossary,

(iv) Publication of Law Journals,

(v) Any other publication, which may develop and propagate Hindi or other official languages of the States in the field of law, and

(vi) Additional grants would be considered for works in regional languages accompanied by its version in Hindi.

The Application Form & Copy of Scheme is available on our **website** **www.lawmin.nic.in/olwing**

Duly filled in applications should reach this office during the period from 7th October, 2015 to 20th November, 2015 positively.

For additional information and for obtaining the application form, contact:

(R.D.Meena)
Joint Secretary and Legislative Counsel (Official Language),
Ministry of Law & Justice,
Legislative Department,
Official Languages Wing,
Room No. 742, 7th Floor, 'A' Wing,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001.
Phone No. 23386229.
Fax No. 011-23387051.

विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय में विधि के क्षेत्र में हिंदी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग और प्रचार के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्कीम है । अनुदान उन्हीं संस्थाओं को दिया जाएगा जो भारत के संविधान में उल्लिखित किसी भाषा में निम्नलिखित में से कोई कार्य करती हैं, जैसे कि :-

1. विधि की मौलिक पुस्तकों की रचना और प्रकाशन,

2. विधि की मानक पुस्तकों या गौरव ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन,

3. विधि शब्दकोश निर्माण और प्रकाशन,

4. निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन,

5. कोई अन्य प्रकाशन जो हिंदी या किसी अन्य राजभाषा का विधि के क्षेत्र में विकास और प्रचार करें, और

6. प्रादेशिक भाषाओं में उन कृतियों के लिए अतिरिक्त अनुदान देने पर भी विचार किया जाएगा जिनके साथ उनका हिंदी पाठ संलग्न हो ।

आवेदन-पत्र और स्कीम की प्रति हमारी वेबसाइट **website www.lawmin.nic.in/olwing पर उपलब्ध है ।**

सम्यक् रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तारीख 7 अक्तूबर, 2015 से **20 नवम्बर, 2015** तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंच जाना चाहिए ।

अतिरिक्त जानकारी और आवेदन-पत्र के लिए संपर्क करें :-

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, (राजभाषा),
विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग,
राजभाषा खंड, कमरा सं. 742,
'ए' विंग. 7वां तल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
फोन न. 23386229.
फैक्स न. 011-23387051